रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 212] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 15, 2014/आषाढ़ 24, 1936
No. 212] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 15, 2014/ASHADHA 24, 1936

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 11 जुलाई, 2014

सं. टीएएमपी/13/2009–वीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के मौजूदा दरमानों की वैद्यता को विस्तारित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

(मामला सं. टीएएमपी/13/2009–वीपीटी)

कोरम:

(i). श्री टी. एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)

(ii). श्री चन्द्र भान सिंह, सदस्य (अर्थशास्त्र)

आदेश

(जुलाई, 2014 के चौथे दिन पारित)

यह मामला विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) के मौजूदा दरमान की वैधता को विस्तारित करने से सम्बंधित है।

2. वीपीटी का मौजूदा दरमान (एसओआर) इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार आदेश सं. टीएएमपी/13/2009–वीपीटी दिनांक 18 फरवरी, 2011, जिसे 31 मार्च, 2011 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था, द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह आदेश दरमान की वैधता 31 मार्च, 2013 तक निर्धारित करता है। यह प्राधिकरण वीपीटी के दरमान की वैद्यता कई बार विस्तारित कर चुका है; अंतिम विस्तार आदेश दिनांक 4 अप्रैल, 2014 द्वारा 30 जून, 2014 तक विस्तारित किया था।

3.1. वीपीटी द्वारा अपने पत्र दिनांक 8 फरवरी, 2013 द्वारा अपने पत्र दिनांक 22 मार्च, 2013 के साथ दाखिल किए गए प्रस्ताव पर संबद्ध उपयोक्ताओं/उपयोक्ता एसोसिएशनों के साथ विचार–विमर्श किया गया है। हमारे पत्र दिनांक 8 अगस्त, 2013 द्वारा वीपीटी से मांगी गई अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण पत्तन द्वारा 19 नवम्बर, 2013 को भेजा गया है। इस प्रस्ताव पर संयुक्त सुनवाई 20 सितम्बर, 2013 को आयोजित की गई थी।

3.2. तत्पश्चात, वीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 द्वारा कहा है कि बीओटी प्रचालक के साथ रियायत करार पर हस्ताक्षर करने के अद्यतन विकास के मद्देनजर, इसके प्रस्ताव में यातायात, आय अनुमानों और घाटा अनुमानों में बदलाव हो सकता है। इसके सामान्य संशोधन प्रस्ताव पर प्रभाव डालते हुए वीपीटी द्वारा बताई गई उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर, वीपीटी को हमारे पत्र दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 द्वारा उसका प्रस्ताव अद्यतन करने और 7 जनवरी, 2014 तक प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी। वीपीटी ने अपना संशोधित प्रस्ताव दाखिल करने के लिए 20 फरवरी, 2014 तक विस्तार करने का अनुरोध किया था। इसलिए, वीपीटी को उसका संशोधित प्रस्ताव 20 फरवरी, 2014 तक दाखिल करने की अनुमति दी गई थी।

3.3. तत्पश्चात, वीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 2 अप्रैल, 2014 द्वारा उद्धरित करते हुए कि 2013–14 के लिए वास्तविक यातायात, आय और व्यय के साथ 2013–14 के अनुमानों को अद्यतन करते हुए अपना संशोधित प्रस्तावित दाखिल करने के लिए मांगा गया 30 जून, 2014 तक वित्तीय वर्ष 2013–14 समाप्त हो चुका है। इसने मौजूदा दरमान की वैद्यता को 30 जून, 2014 तक अथवा दरमान को अंतिम रूप दिए जाने की तारीख तक, जो भी पहले हो, विस्तार करने का भी अनुरोध किया है। वीपीटी द्वारा किए गए निवेदनों के मद्देनजर, पत्तन को 2013–14 के वास्तविक आंकड़ों से अद्यतन करते हुए अपना संशोधित प्रस्ताव दाखिल करने के लिए 30 जून, 2014 तक का समय प्रदान किया गया था।

4. जब वीपीटी से संशोधित अद्यतन प्रस्ताव प्राप्त होगा तब आंतरिक रूप से इसकी जांच की जाएगी और, यदि जरूरी हुआ तो, संबंधित पक्षकारों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। उसके मद्देनजर, इस मामले को अंतिम रूप देने में कुछ और समय लगेगा।

5. वीपीटी के मौजूदा दरमान की वैद्यता 30 जून, 2014 को समाप्त हो रही है। वीपीटी द्वारा दाखिल (किए जाने वाले) अद्यतन प्रस्ताव की जांच और संवीक्षा करने में लगने वाले समय पर विचार करते हुए, यह प्राधिकरण वीपीटी के मौजूदा दरमान की वैद्यता को इसकी समाप्ति की तारीख से 30 सितम्बर, 2014 तक अथवा संशोधित दरमानों के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक, जो भी पहले हो, विस्तारित करता है।

6. यदि स्वीकार्य लागत और स्वीकार्य प्रतिलाभ से अधिक कोई अतिरिक्त अधिशेष 1 अप्रैल, 2013 के बाद की अवधि के लिए दिखाई देता है तो इसके निष्पादन की समीक्षा के दौरान, ऐसा अतिरिक्त अधिशेष निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूर्णतः समायोजित किया जाएगा।

टी. एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)

[सं. विज्ञापन–III/4/असा./143/2014]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 11th July, 2014

No. TAMP/13/2009-VPT.—In exercise of the powers conferred under Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates of the Visakhapatnam Port Trust as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No.TAMP/13/2009-VPT

QUORUM

(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii). Shri. Chandra Bhan Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on 4th day of July, 2014)

This order relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Visakhapatnam Port Trust (VPT).

2. The existing Scale of Rates (SOR) of the VPT was last approved by this Authority vide Order No. TAMP/13/2009-VPT dated 18th February, 2011 which was notified in the Gazette of India on 31st March, 2011. The Order prescribes the validity of the SOR till 31st March, 2013. This Authority has extended the

validity of SOR of VPT on couple of occasions; the last extension being till 30th June, 2014 vide Order dated 4th April, 2014.

3.1. The proposal filed by the VPT vide its letters dated 8th February, 2013 along with its letter dated 22nd March, 2013 has been taken on consultation with the concerned users/user associations. The additional information/clarification sought from the VPT vide our letter dated 8th August 2013 has been furnished by the port on 19th November, 2013. Joint hearing on the proposal was held on 20th September, 2013.

3.2. Subsequently, the VPT vide its letter dated 18th December, 2013 has stated that in view of latest development of signing of Concession Agreement with BOT operator, the traffic, income estimates and deficit estimates, in its proposal may undergo a change. In view of the above position brought out by the VPT having an impact on its general revision proposal, the VPT was advised vide our letter dated 31st December, 2013 to update its proposal and submit it by 7th January, 2014. The VPT requested for further extension up to 20th February, 2014 to file its revised proposal. The VPT, therefore, was allowed time up to 20th February, 2014 to file its revised proposal.

3.3. The VPT has subsequently, vide its letter dated 2nd April, 2014 citing that the financial year 2013-14 is over, sought time up to 30th June, 2014 to file its revised proposal updating the estimates of 2013-14 with actual traffic, income and expenditure for 2013-14. It has also requested to extend the validity of the existing SOR till 30th June, 2014 or till the date of finalization of SOR, whichever is earlier. In view of the submissions made by the VPT, the port was granted time till 30th June, 2014 to file its revised proposal updating with 2013-14 actuals.

4. The revised updated proposal from the VPT when received will have to be examined internally and, if necessary, involve consultation with the concerned stakeholders. In view of that, it will take some more time for finalization of the case.

5. The validity of the existing SOR of the VPT expires on 30th June, 2014. Considering the time required to examine and scrutinize the updated proposal (to be) filed by the VPT, this Authority extends the validity of the existing SOR of the VPT from the date of its expiry till 30th September, 2014 or till the effective date of implementation of the revised Scale of Rates, whichever is earlier.

6. If any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return emerges for the period post 1st April, 2013, during the review of its performance, such additional surplus will be set off fully in the tariff to be determined.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[No. ADVT. III/4/Exty./143/2014]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.